पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती शकुन्तला चौधरी आरएएस

प्रकरण सं0 : 132/2022

1. लक्ष्मी पुत्री बिरजुसिंह पत्नी जयपालसिंह जाति राजपुत निवासी अनुपशहर हाल निवासी छापडा तहसील सुरजगढ़ जिला झुन्झुनु।
2. सुदेश पुत्री बिरजुसिंह पत्नी कप्तानसिंह जाति राजपुत निवासी अनुपशहर हाल निवासी छापडा तहसील सुरजगढ़ जिला झुन्झुनु।

:- वादीगण

बनाम

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार (राजस्व) भादरा। :- प्रतिवादी

आज यह वाद मुझ शकुन्तला चौधरी सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादीगण श्री गुरनाम सिंह व प्रतिवादी राजपैरोकार की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मोजा अनुपशहर के खाता सं0 179/440 के खसरा संख्या 304/6 की 7.588है0 बारानी खातेदारी में वादीगण का 1/27-1/27 हिस्सा खातेदारी दर्ज है। इसी प्रकार रोही मोजा अनुपशहर के खाता सं0 446/427 के खसरा सं0 1013/304 की 2.529है0, खसरा सं0 412 की 3.288है0, खसरा सं0 790 की 0.658है0, खसरा सं0 819 की 2.630है0 कुल खसरा 4 की कुल 9.105है0 बारानी खातेदारी में वादीगण के नाम 1/9-1/9 हिस्सा खातेदारी दर्ज है। उक्त वादभूमि में वादीया लक्ष्मी का नाम लिछमा व वादीया सुदेश का नाम सदाकंवर दर्ज है। अतः रोही मोजा अनुपशहर के खाता सं0 179/440 में वादी सं0 1 का नाम लिछमा की जगह लक्ष्मी तथा वादी सं0 2 का नाम सदाकंवर की जगह सुदेश किए जाने की घोषणा की जाती है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 20.06.2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(शकुन्तला चौधरी)
RAS
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) भादरा (हनुमानगढ़)
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner